माननीय एम.एम. कुमार और अजय कुमार मित्तल, न्यायाधीश

मैसर्स पीएमएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड,—याचिकाकर्ता

बनाम

आईडीबीआई और अन्य,—प्रतिवादी

सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 19406 / 2006

4 अप्रैल, 2008

भारत का संविधान, 1950—अनुच्छेद 226—वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन और सुरक्षा हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002—धारा 13(4) और 14—रुग्ण औद्योगिक कंपनियों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985—BIFR द्वारा याचिकाकर्ता कंपनी को रुग्ण औद्योगिक कंपनी घोषित करना और 1985 अधिनियम की धारा 18 के अनुसार उपायों की शुरुआत करने का आदेश देना–BIFR द्वारा धारा 17(3) के अंतर्गत आईडीबीआई को परिचालन एजेंसी के रूप में नियुक्त करना और आईडीबीआई को एक प्रारंभिक पुनर्वास योजना तैयार करने का निर्देश देना–BIFR के आदेश के खिलाफ एएआईएफआर द्वारा अपील खारिज करना–उच्च न्यायालय द्वारा भी BIFR आदेश के खिलाफ याचिका खारिज करना– सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए बयान को स्वीकार करना– याचिकाकर्ता निवेशक के नाम का खुलासा करके BIFR से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ SLP वापस लेना। याचिकाकर्ता मामले में देरी करके सुरक्षित लेनदारों के उनके बकाया वापस पाने के अधिकार को हराने का कार्य कर रहा है–सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई समयावधि पहले ही काफी समय से समाप्त हो चुकी है–एआरसीआईएल के खिलाफ एस्टॉपल के सिद्धांत–लागू नहीं होते–याचिकाकर्ता अपने बकाया साफ करने और अपनी किसी भी प्रतिबद्धता का पालन करने में विफल रहा–उच्च न्यायालय, एएआईएफआर और BIFR में हार जाने के बाद, नायब-तहसीलदार द्वारा पारित आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं जिसमें याचिकाकर्ता को अपने कब्जे को सुरक्षित लेनदारों के एजेंटों को सौंपने का निर्देश है–याचिका खारिज की गई, हालांकि, याचिकाकर्ता को 2002 अधिनियम की धारा 17 के तहत अपील का उपचार लेने की स्वतंत्रता दी जाती है।

यह अभिनिर्धारित किया है कि, याचिकाकर्ता को उचित समझौता करने के लिए काफी समय दिया गया है| यहां तक कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश भी याचिकाकर्ता द्वारा दी गई समयबद्ध आश्वासन पर आधारित है किआदेश की तारीख यानी 15 फरवरी, 2006 से चार सप्ताह के अंदर उपयुक्त पुनर्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा औरयाचिकाकर्ता ने सुरक्षित लेनदारों के सामने उचित समझौता पेश करने में देरी की और कोई स्वीकार्य समझौता प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने सफलतापूर्वक एक बहाने या दूसरे पर मामले को देरी करते हुए सुरक्षित लेनदारों के उनके बकाया वापस पाने के अधिकार को हराने का काम किया है। तदनुसार, हम इस प्रस्तुति को स्वीकार नहीं कर सकते कि मामला BIFR के विचाराधीन है।

(पैरा20)

इसके बाद अभिनिर्धारित किया है कि, माननीय सुप्रीम कोर्ट और सुरक्षित लेनदार-प्रतिवादी संख्या 2 से 6 द्वारा दिए गए अवसरों के बावजूद, याचिकाकर्ता बकाया चुकाने में असफल रहा है। ARCIL कुल सुरक्षित ऋण के मूल्य में 33% रखती है और अधिनियम की धारा 13(9) के अनुसार उसे IDBI (जो कुल सुरक्षित ऋण का 32% रखती है) और SBH (जो कुल ऋण का 34% रखती है) की सहमति प्राप्त है। इसलिए, ARCIL अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सुरक्षा हित के प्रवर्तन के लिए आगे बढ़ने का हकदार है और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 फरवरी, 2006 को पारित आदेशों के आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा उसके विरुद्ध आह्वान किए गए एस्टॉपल के सिद्धांत उसकी सहायता के लिए नहीं आएंगे।

(पैरा 22)

आनंद छिब्बर, अधिवक्ता, और अमनदीप सिंह, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए।

कैप्टन अरुण शर्मा, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 3 के लिए।

जगदीश मारवाहा, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 4 के लिए।

कंवलजीत सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, रोहित सपरा, अधिवक्ता के साथ, प्रतिवादी संख्या 6 के लिए।

एम.एम. कुमार, न्यायमूर्ति।

1. इस याचिका में उठाया गया मुख्य मुद्दा यह है कि क्या वित्तीय संपत्तियों की सुरक्षा और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित की प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (संक्षेप में, 'अधिनियम') की धारा 13 (4) के तहत पारित एक आदेश और नायब-तहसीलदार, डेरा बस्सी-प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा धारा 14 के प्रावधानों के अनुसार शुरू की गई आगामी कार्रवाई को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर करके चुनौती दी जा सकती है या नहीं, । याचिकाकर्ता- पीएमएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 23 नवंबर, 2006 (पी-16) को पारित आदेश को चुनौती दी है, जो नायब-तहसीलदार, डेरा बस्सी-प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, याचिकाकर्ता-पीएमएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अपने कब्जे को सुरक्षित ऋणदाताओं के एजेंटों को सौंपने के निर्देश देने के लिए पारित किया गया था। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि प्रतिवादियों को 15 फरवरी, 2006 और 20 नवंबर, 2006 को जारी किए गए आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया जाए। ये आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पारित किए थे, जिसके बाद मामले को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास वापस भेजा गया।

तथ्य:-

2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि यह एक 100% निर्यात उन्मुख लिमिटेड कंपनी है और हड्डी रहित भैंस (नर) के मांस की प्रक्रिया और उत्पादन में लगी हुई है। याचिकाकर्ता की पंजाब के डेरा बस्सी में स्थित इकाई की स्थापना न्यूज़ीलैंड के अनुसंधान और विकास संस्थान की मदद से की गई थी और वही अत्याधुनिक प्रसंस्करण संयंत्रों से सुसज्जित है। इसने M/s Fietchers Projects Pvt Ltd., ऑस्ट्रेलिया के साथ संयंत्र की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग के लिए टर्न- key समझौता भी किया है, । प्रारंभ में याचिकाकर्ता को आईसीआईसीआई बैंक-प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा 35.4 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, जो बाद में बढ़ाकर 39.68 करोड़ रुपये कर दी गई। इसके अलावा, एशियन फाइनेंस और निवेश निगम लिमिटेड (संक्षेप में, 'एएफआईसी'), जो एशियाई विकास बैंक, मनीला की वित्तीय शाखा है, ने भी यूएस $1.1 मिलियन (लगभग 34 करोड़ रुपये) की वित्तीय सहायता/ऋण प्रदान किया था, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक ने विधिवत स्वीकृति प्रदान की थी।याचिकाकर्ता ने एएफआईसी से 3.13 करोड़ रुपये का एक ब्रिज ऋण भी सुरक्षित किया और आईसीआईसीआई बैंक-प्रतिवादी संख्या 2 से 2.88 करोड़ रुपये का एक अन्य ब्रिज ऋण प्राप्त किया। याचिकाकर्ता के प्लांट और मशीनरी लगभग 20 एकड़ में फैली हुई हैं और इकाई ने 1 मार्च, 1996 को व्यावसायिक उत्पादन आरंभ किया|

3. याचिकाकर्ता का दावा है कि व्यावसायिक उत्पादन की शुरुआत से पहले ही उसके लिए समस्याएँ शुरू हो गई थीं, जब 22 मार्च, 1995 को स्थानीय समाचार पत्रों में एक समाचार आइटम प्रकाशित हुआ था कि पंजाब राज्य की कैबिनेट ने 21 मार्च, 1995 को विभिन्न कट्टरपंथी समूहों द्वारा प्रदर्शनों के मद्देनजर याचिकाकर्ता की इकाई को बंद करने का निर्णय लिया था। याचिकाकर्ता ने तब इस न्यायालय में सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 4712/1995 दायर किया और इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने उपरोक्त याचिका को,—5 अप्रैल, 1995 को दिए गए आदेश द्वारा निम्नलिखित टिप्पणी करते हुए खारिज कर दिया:-

> "अद्यतन, याचिकाकर्ताओं ने पंजाब राज्य या उसके कार्यकर्ताओं द्वारा पारित किसी भी आदेश को पेश नहीं किया है जिसकी जांच की जा सके। इसलिए, याचिका को समय से पूर्व मानते हुए खारिज कर दिया गया है, साथ ही याचिकाकर्ताओं को यह आज़ादी दी जाती है कि जब आवश्यकता पड़े तो वे उपयुक्त कार्रवाई करें।
>
> मुख्य याचिका में आदेश के दृष्टिगत, सिविल विविध प्रकरण नं. 3860/1995 पर किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है।"

4. 15 मई, 1995 को, पटियाला के उपायुक्त ने याचिकाकर्ता को अपनी इकाई बंद करने का आदेश दिया क्योंकि पंजाब सरकार ने फैसला किया था कि वह देरा बस्सी के गाँव बेहरा में स्थित अपने कारखाने का संचालन नहीं करने देगी (पी-2)। 10 जून, 1995 को, पटियाला के उपायुक्त ने इकाई में किसी भी उत्पादन को रोकने का एक और आदेश

पारित किया (पी-3)। याचिकाकर्ता ने इस कोर्ट में सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 8924/1995 दाखिल करके उपरोक्त आदेशों को चुनौती दी। 15 मई, 1995 और 10 जून, 1995 को पारित आदेश (पी-2 और पी-3) को इस कोर्ट ने नोटिस जारी करने के समय स्थगित कर दिया था। बाद में इस कोर्ट की एक खंडपीठ ने सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 8924/1995 को,—आदेश दिनांक 30 अगस्त, 1995 के अनुसार स्वीकार किया और अंतरिम रोक की निरंतरता का भी आदेश दिया, जो अभी भी इस न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है।

5. पंजाब राज्य कैबिनेट के याचिकाकर्ता की इकाई को बंद करने के निर्णय का परिणामी प्रभाव यह हुआ कि कुछ मीट की आपूर्ति के आदेश रद्द कर दिए गए और वित्तीय संस्थानों ने याचिकाकर्ता को ऋण देने से इंकार कर दिया, जिससे वित्तीय संकट उत्पन्न होने का दावा किया गया। इस स्थिति का सामना करते हुए, याचिकाकर्ता ने 18 दिसंबर, 1998 को (पी-4) संदर्भ संख्या 346/1998 के अंतर्गत बीआईएफआर से संपर्क किया। 14 मई, 1999 को, बीआईएफआर ने याचिकाकर्ता को SICA एक्ट की धारा 3(1)(ओ) के अनुसार एक रुगन औद्योगिक कंपनी के रूप में घोषित किया। बीआईएफआर ने यह भी राय बनाई कि याचिकाकर्ता अपने आप ही पुनर्जीवित हो सकता है और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए, SICA एक्ट की धारा 18 के अनुसार उपायों की पहल करने का आदेश दिया। बीआईएफआर ने SICA एक्ट की धारा 17(3) के तहत संचालन एजेंसी (ओए) के रूप में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक-प्रतिवादी संख्या 1 (संक्षिप्त में, 'आईडीबीआई') की नियुक्ति का भी आदेश दिया ताकि याचिकाकर्ता की व्यवहार्यताकी जांच की जा सके और उसके पुनर्जीवन के लिए पुनर्वास योजना का निर्माण किया जा सके। याचिकाकर्ता की व्यवहार्यता की जांच और पुनर्वास योजना की तैयारी के उद्देश्य से कुछ दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए (पी-5)। इसके बाद, बीआईएफआर के समक्ष समय-समय पर कार्यवाही जारी रही और पुनर्वास प्रक्रिया आरंभ की गई। सभी सुरक्षित ऋणदाताओं ने भी बीआईएफआर के समक्ष प्रतिनिधित्व किया।

6. 30 अप्रैल, 2001 को, बीआईएफआर ने एक आदेश पारित किया, जो याचिकाकर्ता को 2 मई, 2001 को प्राप्त हुआ, जिसमें आईडीबीआई को दो सप्ताह की अवधि के भीतर एक मसौदा पुनर्वास योजना तैयार करने और उसे याचिकाकर्ता सहित इच्छुक बोलीदाताओं को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। आईडीबीआई को यह भी निर्देश दिया गया था कि वह आदेश प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर कंपनी के प्रबंधन में परिवर्तन के लिए एक विज्ञापन जारी करे जिसमें पुनर्वास के लिए टेकओवर/लीजिंग/विलय/मर्जर के ऑफर्स के लिए आमंत्रण शामिल हो, चाहे वह वित्तीय संस्थानों/बैंकों के बकाया राशि के एकमुश्त समाधान (ओटीएस) के साथ हो या बिना, और ऑफर्स जमा करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी आदेश दिया गया कि यदि कोई ठोस पुनर्वास प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ तो बीआईएफआर आगे के उचित आदेशों के पारित करने पर विचार करेगा जिसमें याचिकाकर्ता के लिए समापन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करना शामिल हो सकता है (पी-6)।

7. दिनांक 30 अप्रैल, 2001 के बीआईएफआर द्वारा पारित आदेश से आहत होकर, याचिकाकर्ता ने SICA अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्वास के लिए अपीलीय प्राधिकरण, नई दिल्ली (संक्षेप में, 'एएआईएफआर') के समक्ष 8 मई, 2001 को एक सांविधिक अपील दायर की। अपील के साथ एक अंतरिम रोक के लिए आवेदन भी संलग्न था। 9 मई, 2001 को, एएआईएफआर ने अपील को प्रारंभ में ही खारिज कर दिया (पी-7)। उसके बाद, याचिकाकर्ता ने इस कोर्ट में सी.डब्ल्यू.पी. नं. 7157/ 2001 दायर की जिसमें 30 अप्रैल, 2001 और 9 मई, 2001 को बीआईएफआर और एएआईएफआर द्वारा क्रमशः पारित आदेशों को चुनौती दी गई। रिट याचिका को भी इस कोर्ट की एक डिवीजन बेंच द्वारा दिनांक 17 मई, 2001 को खारिज कर दिया गया (पी-8)। याचिकाकर्ता ने एस.एल.पी. (सिविल) नं. 10197/ 2001 दायर की। 9 जुलाई, 2001 को, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और बीआईएफआर द्वारा पारित दिनांक 30 अप्रैल, 2001 के आदेश पर रोक लगा दी (पी-9)। एस.एल.पी. को मंजूर किया गया और सिविल अपील नं. 6397/ 2002 में 6 दिसंबर, 2005 को (पी-10), माननीय उच्चतम न्यायालय के महामहिमों ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:—

> इस न्यायालय के 22 नवंबर, 2005 के पूर्व आदेश के अनुसार, अपीलकर्ताओं के वकील ने बैलेंस-शीट, आयकर रिटर्न्स, आकलन आदेश और एकमुश्त समाधान योजना (OTS) के साथ अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने रिकॉर्ड पर श्री एस.वी. वेंकटकृष्णन, उपाध्यक्ष और समूह प्रमुख, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (भारत) लिमिटेड (ARCIL) द्वारा अपीलकर्ता-कंपनी के प्रबंध निदेशक को संबोधित पत्र संख्या ARG-IVMK/FY 06/3601, दिनांक 28 नवंबर, 2005 रखा है, जिसमें यह कहा गया है कि यदि अपीलकर्ता छह महीनों के भीतर तीन किश्तों में 12.50 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करने पर सहमत होता है, जैसा कि उसमें उल्लेखित है, तो सुरक्षित लेनदारों के संबंध में पूर्ण और अंतिम निपटान पर पहुँचा जा सकता है। सुरक्षित लेनदारों में से, इंडसइंड बैंक ने अभी तक प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। इस OTS की पेशकश को 31 दिसंबर, 2005 तक स्वीकार करना होगा।
>
> 12 जनवरी, 2006 के लिए पहली मद के रूप में सुनवाई स्थगित की जाती है, जो रातभर में हुई आंशिक सुनवाई पर निर्भर है, यदि वह हुई हो। यह स्थगन इस शर्त के अधीन दिया जा रहा है कि अपीलकर्ता द्वारा 2 जनवरी, 2006 को या उससे पहले इस न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के साथ एक करोड़ रुपये की राशि जमा की जाए। यदि उपर्युक्त एक करोड़ रुपये की राशि निर्देशित अनुसार जमा नहीं की जाती है, तो इस न्यायालय द्वारा प्रदत्त स्थगन आदेश रद्द माना जाएगा। यदि OTS सफल नहीं होता है, तो जमा की गई एक करोड़ रुपये की राशि, यदि जमा की गई हो, तो अपीलकर्ताओं को वापस कर दी जाएगी।

8. उपरोक्त आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता ने अपनी बोनाफाइड दिखाने के लिए एक करोड़ रुपये जमा किए। सिविल अपील अंततः 15 फरवरी, 2006 को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचारणा के लिए आई और याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित अधिवक्ता के कथन के आधार पर, अपील को यह स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया कि वे BIFR से संपर्क कर सकें और निवेशक के नाम के साथ-साथ उसके द्वारा लगाए जाने वाले फंडों का विवरण और अब तक कंपनी के उत्पादों की आपूर्ति के लिए प्राप्त आदेशों (P-12) को बताते हुए संपर्क कर सकें।

9. याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने 15 फरवरी, 2006 के आदेश के अनुसार आवश्यक जानकारी प्रदान की है। निर्देश स्पष्टतः समयबद्ध थे और BIFR को प्रस्तावों के प्रस्तुतिकरण के आठ सप्ताह के भीतर निर्णय लेना था और प्रस्ताव को 15 फरवरी, 2006 के आदेश की तारीख से चार सप्ताह के अंदर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। यह अवधि 15 मई, 2006 को समाप्त हो गई। BIFR ने 15 फरवरी, 2006 के आदेश में संशोधन हेतु एक आवेदन किया, जिसमें यह प्रार्थना की गई कि रणनीतिक निवेशक का नाम IDBI-प्रतिवादी संख्या 1 को उजागर किया जाए, जिसे 20 नवंबर, 2006 को दिए गए आदेश (P-13) द्वारा अनुमति दी गई।माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि IDBI को निवेशक का नाम ज्ञात हो सकता है परंतु उसे इसे किसी अन्य तृतीय पक्ष को प्रकट नहीं करना था ताकि वे याचिकाकर्ता द्वारा लाए गए रणनीतिक निवेशक की क्रेडिट-योग्यता का परीक्षण कर सकें। 15 फरवरी, 2006 के अपने आदेश द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए समय के संबंध में ना तो विस्तार की मांग की गई और ना ही विस्तार किया गया। BIFR द्वारा कार्यवाही 15 मई, 2006 तक समाप्त नहीं की जा सकी।

10. ICICI बैंक-प्रतिवादी संख्या 2 ने याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत एक सूचना जारी की कि बैंक के बकाया तुरंत चुकाए जाएँ अन्यथा अधिनियम के तहत कार्यवाही आरंभ की जाएगी (P-14)। 1 दिसंबर, 2003 को, याचिकाकर्ता द्वारा सूचना का उत्तर भेजा गया, जिसमें ICICI बैंक-प्रतिवादी संख्या 2 को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुज्ञा याचिका की लंबितता की सूचना दी गई (P-15)। याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि उसे ICICI बैंक-प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था, हालांकि, याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए आपत्तियों के निर्णय की कोई सूचना नहीं दी गई थी और न ही कभी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत कोई सूचना भेजी गई थी।

11. 23 नवंबर, 2006 को, नायब तहसीलदार, डेरा बस्सी-प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा एक सूचना भेजी गई थी, जो याचिकाकर्ता को 1 दिसंबर, 2006 को प्राप्त हुई, जिसमें याचिकाकर्ता से 6 दिसंबर, 2006 को अपने कब्जे को मुख्य सलाहकार, उत्तर भारतीय तकनीकी सलाहकार, एस.सी.ओ. संख्या 131-132, पहली मंजिल, चंडीगढ़ को सौंपने

को कहा गया।उक्त सूचना अधिनियम की धारा 14 के तहत जारी की गई है। इस सूचना के साथ, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (भारत) लिमिटेड-(आर्सेल) प्रतिवादी संख्या 6, द्वारा मुख्य महानगर जिला मजिस्ट्रेट, एस. ए.एस. नगर, मोहाली की अदालत में अधिनियम की धारा 14 के तहत सुरक्षित परिसंपत्तियों के कब्जे को लेने के लिए दायर आवेदन की प्रति और विभिन्न अन्य दस्तावेज भी याचिकाकर्ता को भेजे गए (P-16)।याचिकाकर्ता ने 4 दिसंबर, 2006 को अपना उत्तर भेजा (P-17)। उत्तर में ली गई स्थिति यह है कि अधिनियम की धारा 13 (3 ए) के तहत कोई आदेश पारित नहीं किया गया है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने 15 फरवरी, 2006 के आदेश में विभिन्न निर्देश जारी किए हैं। 23 नवंबर, 2006 की सूचना/आदेश को वर्तमान याचिका में चुनौती दी गई है।

12. ARCIL-प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से दाखिल किए गए लिखित जवाब में विभिन्न प्राथमिक आपत्तियां उठाई गई हैं। मुख्य तर्क यह है कि इस अदालत को अधिनियम की धारा 17(1) के साथ धारा 34 और 35 को पढ़ते हुए इस वर्तमान याचिका की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता दिनांक 23 नवंबर, 2006 के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध कर रहा है (जिसे लिखित जवाब में गलती से 16 नवंबर, 2006 के रूप में उल्लेखित किया गया है), और यदि ऐसी राहत दी जाती है तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिवादी संख्या 6 को अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत अपना अधिकार का प्रयोग करते हुए कार्रवाई करने से अदालती निषेधाज्ञा प्राप्त हो जाएगी। मामले में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 23 नवंबर, 2006 के विवादित आदेश के मामले में न्यायिक निर्णय लेने का सही अधिकार और जुरिस्डिक्शन अन्यत्र स्थापित है, यानी अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत ऋण वसूली अधिकरण (DRT) के पास। इसके साथ ही, यह तर्क विकसित किया गया है कि BIFR में कार्यवाही का केवल विचाराधीन होना, सुरक्षित ऋणदाता को उसकी सुरक्षा रुचि या सुरक्षित परिसंपत्तियों का प्रयोग करने के उसके अधिकार का पालन करने से नहीं रोकता, जैसा कि अधिनियम की धारा 13(4) में निहित है। इस मामले में, SICA अधिनियम की धारा 15(1) के प्रावधानों का जिक्र किया गया है, जिसे हाल ही में अधिनियम के द्वारा सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता को कानूनी कार्रवाई शुरू करने से पहले पूरी तरह सुनने का अवसर प्रदान किया गया था। याचिकाकर्ता को समझौते का एक उचित प्रस्ताव पेश करने के लिए डेढ़ साल से भी ज्यादा का समय दिया गया। इस याचिका को दायर करने का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित ऋणदाताओं के कानूनी बकाया की वसूली में देरी और बाधा उत्पन्न करना प्रतीत होता है। ध्यान दिलाया गया है कि 6 अक्टूबर, 2006 के पत्र के द्वारा याचिकाकर्ता को यह सूचना दी गई थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 फरवरी, 2006 को दिए गए आदेश के अनुसार प्रस्तुत किया गया उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है (R-6/1 के अनुसार)। 31 मार्च, 2006 तक, याचिकाकर्ता पर 96.24 करोड़ रुपये की राशि प्रतिवादी संख्या 6 को देय थी। साथ ही, अन्य सुरक्षित उधारदाताओं ने भी याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए प्रस्ताव को नकार दिया है, जैसा कि 11 अक्टूबर, 2006, 25 अक्टूबर, 2006, 2 नवंबर, 2006, 6 नवंबर, 2006 और 2 दिसंबर, 2006 के पत्रों से प्रकट होता

है (R-6/2 से R-6/6 तक)। प्रतिवादी संख्या 6 ने 16वीं/23वीं नवंबर, 2006 के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को भी रिकॉर्ड पर रखा है, जिसमें तहसीलदार को याचिकाकर्ता की सुरक्षित संपत्ति का कब्जा लेने और उसे सौंपने के निर्देश दिए गए हैं (R-6/10)। हालांकि, नियत दिन पर, तहसीलदार ने BIFR के समक्ष लंबित संदर्भ का हवाला देते हुए, और SICA अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती, इस आधार पर कब्जा लेने से मना कर दिया। इस संबंध में, 6 दिसंबर, 2006 को नायब तहसीलदार, डेरा बस्सी द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, S.A.S. नगर को भेजे गए संचार की प्रति रिकॉर्ड पर रखी गई है (R-6/11)। प्रतिवादी संख्या 6 ने अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों का भी हवाला दिया है जिसमें कहा गया है कि केवल जिला मजिस्ट्रेट ही सहायता प्रदान करने का अधिकार रखते हैं | योग्यता के मामले में, तथ्यात्मक स्थिति को स्वीकार करते हुए, प्रतिवादी संख्या 6 ने ऊपर उल्लेखित समान आरोपों को फिर से दोहराया है।

13. प्रतिवादी संख्या 3, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद की ओर से एक अलग लिखित बयान दाखिल किया गया है जिसमें उसी प्रकार के आपत्तियां उठाई गई हैं जैसी कि प्रतिवादी संख्या 6 ने उठाई हैं। इसलिए, हम लिखित बयान की विस्तार से चर्चा करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं और केवल यह निरीक्षण करना पर्याप्त है कि प्रतिवादी संख्या 3 ने अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 को सौंप दिया है।

14. इंडसइंड बैंक लिमिटेड, प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से एक प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है जिसमें इस तथ्य को उजागर किया गया है कि याचिकाकर्ता ने इस अदालत में ईमानदार इरादे से सम्पर्क नहीं किया है और महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस वर्तमान याचिका को दाखिल करने से पहले, याचिकाकर्ता ने C.W.R संख्या 19042 /2003 में भी एक रिट याचिका दाखिल की थी जिसमें प्रतिवादी को अधिनियम की धारा 13(2) के तहत किसी भी कार्यवाही को करने से रोकने का अनुरोध किया गया था।"उल्लिखित रिट याचिका इस अदालत द्वारा दिनांक 25 मई, 2004 को पारित आदेश के अनुसार निपटाई गई है, जो C.W.R संख्या 19657 /2003 में [मेसर्स गिल निटवियर्स बनाम यूसीओ बैंक और अन्य, अनुलग्नक R-1 (संग्रह)] में पारित की गई थी। "यह निर्णय लिया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **मर्दिया केमिकल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ**[1] के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार, पक्षकारों के लिए यह अनिवार्य था कि वे अधिनियम की धारा 13(4) के तहत पारित आदेश के खिलाफ अधिनियम की धारा 17 के तहत अपील दायर करने की विशिष्ट वैधानिक वैकल्पिक उपचार का सहारा लें। हालांकि, पक्षों को आदेश की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर अपील दायर करने की स्वतंत्रता दी गई थी। इसी अनुसार, प्रतिवादी संख्या 4 ने यह दावा किया है कि महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने के लिए रिट याचिका को उदाहरणात्मक लागत के साथ खारिज किया जा सकता है।"

[1] 2004 (4) S.C.C.311

15. श्री आनंद छिब्बर ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता ने सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 7157 /2001 में BIFR द्वारा 30 अप्रैल, 2001 को पारित आदेश और AAIFR द्वारा 9 मई, 2001 को पारित आदेश के विरुद्ध याचिका दायर की थी। इस कोर्ट ने याचिका को आदेश दिनांक 17 मई, 2001 (पी-8) के माध्यम से खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरुद्ध, याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की और विभिन्न आदेश पारित किए गए। उन्होंने 9 जुलाई, 2001 (पी-9), 6 दिसंबर, 2005 (पी-10), 12 जनवरी, 2006 (पी-11), 15 फरवरी, 2006 (पी-12) और 20 नवंबर, 2006 (पी-13) के आदेशों का उल्लेख किया। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, इन सभी आदेशों से पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों को BIFR के समक्ष मामले का निराकरण करने का निर्देश दिया है, जो 15 फरवरी, 2006 (पी-12) के आदेश से स्पष्ट है। याचिकाकर्ता को अपील वापस लेने और BIFR से सम्पर्क करने की स्वतंत्रता दी गई थी।

16. वकील महोदय ने एक और बात पेश की है कि ARCIL - प्रतिवादी संख्या 6, जिसे सुरक्षित ऋणदाता द्वारा ऋण का हस्तांतरण किया गया है, वह माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उपस्थित था, और इसलिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित सभी पूर्वोक्त आदेशों (एनेक्स्योर P-10 से P-13) से बंधा हुआ है। उन्होंने यह भी पेश किया है कि अधिनियम की धारा 13(4) के तहत कार्रवाई करने से पहले, अधिनियम की धारा 13(3A) के अनुसार कारण बताते हुए कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। इसलिए, वकील महोदय ने यह प्रस्ताव दिया है कि अधिनियम की धारा 14 के तहत कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता था। अतः, दिनांक 23 नवंबर, 2006 का आदेश (P-16) रद्द करने योग्य है।

17. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कंवलजीत सिंह, जो ARCIL - प्रतिवादी संख्या 6 का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता जानबूझकर समय बर्बाद कर रहा है, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 15 फरवरी 2006 के आदेश (P-12) से स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि BIFR को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के तारीख से लेकर उसे निपटाने के लिए कुल 8 सप्ताह का समय दिया गया था, और यह प्रस्ताव 15 फरवरी 2006 से चार सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करना था। इसका अर्थ है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 15 फरवरी 2006 के आदेश (P-12) के जरिए कुल मिलाकर तीन महीने की अवधि मुहैया कराई थी। अधिवक्ता महोदय ने यह भी तर्क दिया कि उचित रूप से देखा जाए तो दिसंबर 2006 में यह समयावधि समाप्त हो गई थी जब BIFR द्वारा दायर आवेदन में IDBI को संचालक एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था और BIFR को निवेशक का नाम प्रकट करना था ताकि संचालक एजेंसी-IDBI निवेशक के वित्तीय विवरण का अध्ययन कर सके और उनके बैंकरों से उनकी क्रेडिट वर्थिनेस की पुष्टि कर सके। अधिवक्ता महोदय ने इंगित किया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई समयावधि समाप्त हो चुकी है और याचिकाकर्ता को किसी भी प्रस्ताव करने का अधिकार नहीं रहा। अधिवक्ता महोदय ने यह भी तर्क दिया है कि अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत कार्यवाही 21 नवंबर, 2003 को आरंभ की गई थी और यह स्वीकार्य स्थिति है कि याचिकाकर्ता को

व्यक्तिगत सुनवाई दी गई थी, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं अपनी याचिका के पैरा 20 में किए गए दावों से और 18 दिसंबर, 2003 की तारीख वाले पत्र से स्पष्ट है, जिसे याचिकाकर्ता ने याचिका के पृष्ठ 145 पर संलग्न किया है। अधिवक्ता महोदय ने यह भी बताया है कि अधिनियम की धारा 13(3A) को 11 नवंबर, 2004 को एक संशोधन के जरिए जोड़ा गया था और इसलिए प्रतिवादी के पास उक्त प्रावधान का पालन करने का कोई अवसर नहीं हो सकता था |

18. अधिवक्ता महोदय ने और बताया कि 23 अप्रैल, 2007 की हलफनामे के पैरा 3 में, डॉ. ए.एस. बिंद्रा, याचिकाकर्ता कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ने, याचिकाकर्ता की ओर से प्रतिबद्धता ली है कि 29 जून, 2007 तक रु. 3,75,00,000 की अदायगी नहीं होने की स्थिति में, ARCIL-प्रतिवादी संख्या 6 को अधिक मात्रा में, जो ICICI बैंक के प्रचलित PLR पर अतिदेय राशि पर अगले 90 दिनों में गणना की जाएगी, उसे वसूल करने का अधिकार होगा। हलफनामे के पैरा 4 और 5 में डॉ. ए.एस. बिंद्रा ने आगे यह प्रतिबद्धता ली है कि रु. 1,325 लाख की राशि की अदायगी नहीं होने की स्थिति में, ARCIL प्रतिवादी संख्या 6, Stressed Assets Stabilization Fund (SASF)- प्रतिवादी संख्या 7 और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (SBH) प्रतिवादी संख्या 3 को समझौते को समाप्त करने और याचिकाकर्ता की देनदारियों के प्रति किए गए भुगतानों को समायोजित करने का अधिकार होगा और वे कानून के प्रावधानों के अनुसार देयताओं की वसूली के अपने अधिकारों के साथ आगे बढ़ने के हकदार होंगे। अधिवक्ता महोदय ने यह भी जोर देकर कहा है कि यह समयावधि बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है और प्रतिवादी अधिनियम की धारा 13(4) और 14 के तहत कार्रवाई करने के अपने अधिकारों में हैं।

19. हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचारपूर्वक ध्यान दिया है और उनकी योग्य सहायता के साथ पेपर बुक का अवलोकन किया है। याचिकाकर्ता ने सुरक्षित ऋणदाताओं या उनके असाइनी- प्रतिवादी संख्या 6 को वर्षों तक मुकदमेबाजी में उलझाया है। इस न्यायालय द्वारा 17 मई, 2001 को पारित आदेश C.W.P. No. 7157 of 2001 (P-8) के अवलोकन से पता चलता है कि BIFR ने 30 अप्रैल, 2001 को याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया था और AAIFR ने उस आदेश को 9 मई, 2001 को बरकरार रखा था। उपर्युक्त आदेशों के विरुद्ध C.W.P. No. 7157 of 2001 को इस न्यायालय में दायर किया गया था, जिसे 17 मई, 2001 (P-8) को खारिज कर दिया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए बयान को स्वीकार करते हुए विशेष अनुमति याचिका का निपटान किया, जैसा कि उनके दिनांक 15 फ़रवरी, 2006 के आदेश (P-12) से प्रकट होता है। याचिकाकर्ता ने अपील वापस ली थी और उसे बीआईएफआर के सामने निवेशक का नाम, उसके द्वारा लगाए जाने वाले धन का विवरण और कंपनी के उत्पाद के लिए प्राप्त ऑर्डर्स के बारे में बताने की स्वतंत्रता थी। प्रस्ताव को 15 फरवरी, 2006 से चार सप्ताह के भीतर एक सीलबंद लिफाफे में बनाया जाना था और बीआईएफआर द्वारा निवेशक की सत्यता,

याचिकाकर्ता द्वारा लगाए जाने वाले धन और प्राप्त आपूर्ति ऑर्डर्स को ध्यान में रखकर इस पर विचार किया जाना था। बीआईएफआर के संतुष्ट होने पर कि याचिकाकर्ता की कंपनी वर्तमान प्रबंधन द्वारा सुधार कर सकती है, बीआईएफआर ने याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार पुनर्जीवन के लिए एक योजना प्रस्तुत करने की अनुमति देनी थी। प्रस्ताव पेश करने की तारीख से 8 सप्ताह की अवधि निर्धारित की गई थी। यह स्पष्ट किया गया था कि अगर बीआईएफआर निवेशक की सत्यता और प्रस्ताव की व्यवहार्यता से संतुष्ट नहीं होता है, तो इस कोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा याचिका खारिज करने वाले आदेश को पुनः लागू किया जाएगा और यह कार्यान्वित होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 फरवरी, 2006 (P-12) को पारित आदेश का संचालन भाग नीचे दिए गए अनुसार पढ़ा जाता है। "यह स्पष्ट किया गया था कि यदि BIFR प्रस्ताव की प्रामाणिकता और व्यवहार्यता से संतुष्ट नहीं होता है, तो इस अदालत की डिवीजन बेंच द्वारा रिट याचिका को खारिज करने वाला आदेश पुनर्जीवित होकर कार्यान्वित होना था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 15 फरवरी, 2006 को पारित आदेश का संचालनात्मक भाग इस प्रकार है:—

> "अपीलकर्ता के प्रस्तुत वकील के बयान के मद्देनजर, अपील को वापस लिए जाने के आधार पर खारिज कर दिया जाता है, लेकिन अपीलकर्ता को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह BIFR के समक्ष निवेशक का नाम प्रकट करे साथ ही उसके द्वारा लगाए जाने वाले धन की विस्तार से जानकारी और कंपनी के उत्पादों की आपूर्ति के लिए अब तक प्राप्त ऑर्डरों की जानकारी भी दे। "यह काम आज से चार सप्ताह के भीतर एक सीलबंद लिफाफे में किया जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव के प्रस्तुतिकरण पर, BIFR निवेशक की प्रामाणिकता, उसके द्वारा लगाए जाने वाले फंड और अपीलकर्ता द्वारा उत्पादित उत्पादों की आपूर्ति के लिए प्राप्त ऑर्डरों की सत्यता पर विचार करेगा, और यदि BIFR प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि मौजूदा प्रबंधन द्वारा कंपनी की स्थिति में सुधार किया जा सकता है, तो वह अपीलकर्ता को कानून के अनुसार पुनरुद्धार की योजना प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है। "अपीलकर्ता द्वारा निवेशक, आपूर्ति के ऑर्डर आदि के संबंध में रखे गए प्रस्ताव की जांच BIFR द्वारा कानून के अनुसार की जाएगी और प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तारीख से आठ सप्ताह के भीतर उसे निपटान किया जाएगा। यदि BIFR उसकी प्रामाणिकता से संतुष्ट है, तो वह अपीलकर्ता को पुनरुद्धार की योजना प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है।
>
> इस मामले में, अपीलकर्ताओं ने निवेशक का नाम प्रकट करने को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है, इसलिए हमने अपीलकर्ताओं को BIFR को एक मुहरबंद लिफाफे में विवरण देने की अनुमति दी है। इसे मुहरबंद लिफाफे में पेश किया गया। विशेषकर निवेशक का नाम अपीलकर्ताओं द्वारा यह कहते हुए प्रकट नहीं किया जा रहा है कि उनके प्रतिस्पर्धी उनकी कंपनी को पुनर्जीवित करने के प्रस्ताव को विफल कर सकते हैं। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रस्ताव की

प्रामाणिकता और व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए, BIFR अपीलकर्ताओं से निवेश की जाने वाली राशि, प्राप्त और प्राप्ति योग्य ऑर्डरों के बारे में आवश्यक विवरण मांग सकता है बिना निवेशक का नाम उजागर किए।

यदि BIFR उपर्युक्त प्रस्ताव की प्रामाणिकता और व्यवहार्यता से संतुष्ट नहीं है, तो आपत्तिजनक आदेश पुनर्जीवित हो जाएगा।

चूँकि अपील को श्री एम.एल. वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता की ओर से वापस लेने के कारण खारिज किया जा रहा है, हम आपत्तिजनक निर्णय की सही या गलत बातों की जाँच नहीं कर रहे हैं।

अभिनव फ्यूचरिस्टिक लिमिटेड नामक आवेदक/हस्तक्षेपकर्ता द्वारा हमारे दिनांक 6 दिसंबर, 2005 के आदेश के अनुपालन में इस न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा किये गए एक करोड़ रुपये की राशि आज से एक सप्ताह के भीतर आवेदक को लौटाई जाए।"

20. उत्तरदाता संख्या 6 और उसके वकील की दलीलें सराहनीय हैं क्योंकि इस कोर्ट की द्वितीय पीठ द्वारा 17 मई, 2001 (P-8) को रिट याचिका को खारिज करने के बाद, ICICI बैंक-उत्तरदाता संख्या 2, ने अधिनियम की धारा 13(2) के तहत कार्यवाही शुरू की। याचिकाकर्ता ने सफलतापूर्वक उत्तरदाता संख्या 2 को अधिनियम की धारा 13(4) के तहत किसी भी आगे की कार्यवाही को स्थगित करने के लिए मनाया, जिसमें कंपनी के पुनर्वास और सुरक्षित ऋणदाताओं के साथ समझौते को लेकर आश्वासन दिए गए थे। याचिकाकर्ता को उचित समझौते के लिए आगे आने के लिए काफी समय दिया गया है। यहां तक कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश भी याचिकाकर्ता द्वारा दी गई उस समय सीमित आश्वासन पर आधारित है कि उपयुक्त पुनर्वास प्रस्ताव आदेश की तारीख से चार सप्ताह के भीतर यानी 15 फरवरी, 2006 तक प्रस्तुत किया जाएगा और याचिकाकर्ता ने सुरक्षित क्रेडिटरों के सामने उचित समझौते का प्रस्ताव लाने में देरी की और स्वीकार्य समझौता प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया। याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा 6 अक्टूबर, 2006 को दिए गए पत्र (R-6/1) के माध्यम से सूचित किया गया था,— कि प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं था। 31 मार्च, 2006 को प्रतिवादी संख्या 6 के बकाया राशि 96.24 करोड़ रुपये थी। अन्य सुरक्षित लेनदार, जैसे कि SASF— प्रतिवादी संख्या 7 ने भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, जो कि 11 अक्टूबर, 2006 के पत्र (R-6/2) से स्पष्ट है, इसके बाद 25 अक्टूबर, 2006 (R-6/3), 2 नवंबर, 2006 (R-6/4), 6 नवंबर, 2006 (R-6/5), और 2 दिसंबर, 2006 (R-6/6) को और पत्र आए थे। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता विभिन्न बहानों पर लगातार विलंब कर रहा है, जिससे सुरक्षित लेनदारों की अपनी देय राशि वापस पाने की क्षमता में बाधा उत्पन्न हो रही है। तदनुसार, हम याचिकाकर्ता के वकील द्वारा की गई उस दलील को स्वीकार

नहीं कर सकते जिसमें सुझाव दिया गया है कि मामला अभी भी BIFR के विचाराधीन है।"

21. इसका उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि कि याचिकाकर्ता ने 14 दिसंबर, 2006 को भी ऐसे ही कुछ तर्क दिए थे, लेकिन असल में ये रिकॉर्ड में नहीं हैं। हम पहले ही डॉ. ए.एस. बिंद्रा के 23 अप्रैल, 2007 के हलफनामे का विस्तार से जिक्र कर चुके हैं। पैरा 3 में डॉ. बिंद्रा ने याचिकाकर्ता की ओर से वादा किया है कि अगर 29 जून, 2007 तक 375 लाख रुपये नहीं चुकाए जाते हैं, तो ARCIL-प्रतिवादी संख्या 6 उस राशि को ICICI बैंक से वसूल सकता है। वो समय सीमा भी खत्म हो चुकी है। हलफनामे के पैरा 4 और 5 में उन्होंने यह भी वादा किया है कि अगर 1,325 लाख रुपये नहीं चुकाए जाते हैं, तो ARCIL-प्रतिवादी संख्या 6, SASF-प्रतिवादी संख्या 7 और SHB-प्रतिवादी संख्या 3 समझौते को खत्म कर सकते हैं और याचिकाकर्ता की देनदारी का हिसाब लगा सकते हैं, और वे कानून के अनुसार अपने पैसे वसूलने का अधिकार रखते हैं। वह समय भी बहुत पहले निकल चुका है लेकिन याचिकाकर्ता ने इन वादों पर अमल नहीं किया है। याचिकाकर्ता ने सिर्फ 2 करोड़ रुपये जमा किए हैं, जो उसने वादा किए गए राशि से बहुत कम है। इसलिए, मिस्टर छिब्बर का तर्क में कोई दम नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता की नीयत पर शक है।

22. यह ध्यान देने योग्य है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और सुरक्षित लेनदार-प्रतिवादी संख्या 2 से 6 द्वारा दिए गए अवसरों के बावजूद, याचिकाकर्ता बकाया चुकाने में असफल रहा है। ARCIL कुल सुरक्षित ऋण के मूल्य में 33% रखती है और अधिनियम की धारा 13(9) के अनुसार उसे IDBI (जो कुल सुरक्षित ऋण का 32% रखती है) और SBH (जो कुल ऋण का 34% रखती है) की सहमति प्राप्त है। इसलिए, ARCIL अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सुरक्षा हित के प्रवर्तन के लिए आगे बढ़ने का हकदार है और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 फरवरी, 2006 को पारित आदेशों के आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा उसके विरुद्ध आह्वान किए गए एस्टॉपल के सिद्धांत उसकी सहायता के लिए नहीं आएंगे।

23. याचिकाकर्ता द्वारा सुरक्षित लेनदारों को मुकदमेबाजी में फंसाकर अपनाए गए विलंब के तरीके को इस अदालत द्वारा मंजूरी नहीं दी जा सकती क्योंकि S.R.F. Limited बनाम Garware Plastics and Polyesters Ltd. के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के लॉर्डशिप ने यह माना था कि रुग्ण कंपनी या संभावित रूप से रुग्ण कंपनी के पुनर्वास को रोकने के लिए BIFR या AAIFR के समक्ष इस तरह की कार्यवाहियों का इस्तेमाल विलंबी तकनीकों के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। वर्तमान याचिका की दायरी, वास्तव में, न्यायालय की प्रक्रिया का पूर्ण दुरुपयोग है, जैसा कि निर्णय के पैराग्राफ 11 की समीक्षा से स्पष्ट है, जो इस प्रकार है:-

> "11. धारा 17(1) के तहत, बोर्ड को जांच पूरी करने के बाद यह निर्णय लिखित रूप में जल्द से जल्द करना होता है कि क्या यह व्यावहारिक होगा कि कंपनी उचित समय के भीतर अपनी नेट वर्थ को संचित

हानियों से अधिक कर सके। इसी तरह, धारा 18(1) योजनाओं की स्वीकृति की तैयारियों का प्रावधान करता है। धारा 17 के तहत आदेश देते समय, संचालन एजेंसी को उस आदेश की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर जितनी जल्दी संभव हो सके, उसके तहत सूचीबद्ध विवरणों के अनुसार एक योजना तैयार करनी होगी। अधिनियम की धारा 26 ने स्पष्ट रूप से नागरिक न्यायालय को बोर्ड या अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों या अधिनियम के तहत बनाई गई प्रस्तावों पर अपने अधिकार क्षेत्र से वंचित कर दिया है। इसलिए, विधायी इरादा यह स्पष्ट होता है कि रुग्ण या संभावित रूप से रुग्ण उद्योग का समय पर पता लगाया जाना चाहिए। रुग्ण या संभावित रुग्ण कंपनी के पुनर्जीवन और पुनर्वास की कार्यवाही को समय सीमा के भीतर और अगर अपरिहार्य हो, तो उसके बाद उचित समय में, जैसे कि छह महीने में, शीघ्रता से पूरा किया जाना चाहिए। इन कार्यवाहियों को रुग्ण कंपनी या संभावित रुग्ण कंपनी के पुनर्वास को रोकने के लिए देरी की रणनीति के रूप में इस्तेमाल होने देना नहीं चाहिए, विशेषकर प्रतिद्वंद्वी कंपनियों द्वारा। बोर्ड और अपीलीय प्राधिकरण और उच्च न्यायालय को प्रावधानों को प्रभावी बनाना चाहिए, प्रक्रियात्मक प्रारूप का पालन करना चाहिए, और कार्यवाही को समय सीमा के भीतर शीघ्रता से अंतिम रूप देना चाहिए ताकि न केवल भूखे मजदूरों को जो बिना मजदूरी के रुग्ण कंपनी के पुनर्जीवन की पीड़ादायक प्रतीक्षा में रखे गए हैं, बचाया जा सके, बल्कि कंपनी द्वारा अनावश्यक नुकसान का संचय और राज्य को राजस्व का नुकसान भी टाला जा सके।"

24. याचिकाकर्ता इस अदालत, AAIFR और BIFR में हारने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट तक गया है। इसलिए, 23 नवंबर 2006 को जारी किए गए उत्तरदाता संख्या 10 द्वारा अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत या उत्तरदाताओं की अन्य किसी कार्रवाई के संदर्भ में पारित विवादित आदेश में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है।

25. हम यह भी मानते हैं कि याचिकाकर्ता के लिए सबसे अच्छा उपाय यह हो सकता है कि वह दिनांक 23 नवंबर, 2006 को पारित आपत्तिजनक आदेश (P-16), जो कि अधिनियम की धारा 13(4) के तहत पारित हुआ था, उसे अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत प्रदान किए गए वैधानिक उपाय का उपयोग करके चुनौती दें, जैसा कि मर्दिया केमिकल्स मामले (उल्लेखित) में लॉर्डशिप्स ने माना है। मर्दिया केमिकल्स केस में लॉर्डशिप्स के विचार इस प्रकार हैं:—

1. अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (2) के अनुसार, सुरक्षित लेनदार पर यह अनिवार्य है कि वह धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदान किए गए किसी भी उपाय को अपनाने से पहले 60 दिनों की सूचना उधारकर्ता को दें। सूचना की सेवा के बाद, यदि उधारकर्ता कोई आपत्ति उठाता है या सुरक्षित लेनदार के विचार के लिए कुछ तथ्य प्रस्तुत करता है, तो ऐसी प्रतिक्रिया को सूचना पर दुए अनुप्रयोग के साथ विचार किया जाना चाहिए और आपत्तियों को

स्वीकार न करने के कारण, चाहे वह कितने भी संक्षिप्त क्यों न हों, उधारकर्ता को संवादित किए जाने चाहिए। इस निष्कर्ष के संबंध में हमने पहले के भाग में पहले ही चर्चा कर ली है। इस प्रकार संवादित किए गए कारण केवल उधारकर्ता की जानकारी / सूचना के लिए होंगे और इससे उस स्तर पर अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत ऋण वसूली ट्रिब्यूनल से संपर्क करने का कोई अधिकार पैदा नहीं होगा।

2. पहले की गई चर्चा के अनुसार, जब धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत कदम उठाए जा चुके हों और संपत्ति की बिक्री या नीलामी की तिथि से पहले, कर्जदार के पास धारा 17 के अंतर्गत ऋण वसूली अधिकरण में अपील (याचिका) दाखिल करने का अधिकार होगा।

यह कि अधिकरण अपनी सहायक शक्तियों के प्रयोग में कोई भी स्थगन/अंतरिम आदेश पारित करने के अधिकारी होंगे, बशर्ते कि वे जो भी शर्तें उचित और उपयुक्त मानें, उसे लागू कर सकें।

4. इस संबंध में पहले ही हुई चर्चा को देखते हुए, हम पाते हैं कि धारा 17 के अंतर्गत अपील (याचिका) की सुनवाई से पहले 75% राशि जमा करने की आवश्यकता एक दबावपूर्ण, बोझिल और मनमानी शर्त है जो कि सभी तर्कसंगतता के सिद्धांतों के खिलाफ है। ऐसी शर्त अवैध है और उसे निरस्त करने योग्य है।

26. वास्तव में, याचिकाकर्ता इस कानूनी स्थिति से पूरी तरह अवगत है क्योंकि इसने पहले इस न्यायालय में सी.डब्ल्यू.पी नंबर 19042 /2003 दाखिल करके प्रार्थना की थी कि उसमें उत्तरदाताओं को अधिनियम की धारा 13(2) के तहत कोई भी कार्यवाही करने से रोका जाए। उस याचिका का निपटान सी.डब्ल्यू.पी नंबर 19657 के 2003 में दिए गए डिवीजन बेंच के निर्णय के अनुसार किया गया, जो 25 मई, 2004 को निर्णीत हुआ था। डिवीजन बेंच ने भी मर्दिया केमिकल्स केस (सुप्रा) में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का अनुसरण किया है।

27. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि अधिनियम की धारा 13(3A) के तहत एक स्पष्ट आदेश पारित किया जाना आवश्यक था, प्रतिवादियों द्वारा प्रभावी ढंग से संबोधित किया गया है, क्योंकि अधिनियम की धारा 13(2) के तहत एक आदेश सुरक्षित लेनदारों द्वारा 21 नवंबर, 2003 को पारित किया गया था (P-14), जो कि अधिनियम में 11 नवंबर, 2004 को संशोधन द्वारा धारा 13(3A) के प्रावधानों को शामिल किए जाने से लगभग एक साल पहले की बात है। ।"किसी भी स्थिति में, याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई प्रदान की गई है, जो इसके द्वारा स्वीकृत तथ्य है, जो याचिका के पैरा 21 की जांच के साथ-साथ याचिका के साथ संलग्न दस्तावेज के पेज 145 की जांच से स्पष्ट है।

28. मान्यवर सुप्रीम कोर्ट के महानुभावों द्वारा 15 फरवरी, 2006 को दिए गए आदेश के अनुसार प्रदान की गई समय-सीमा का पूर्ण होना और इसका लंबे समय से समाप्त हो चुकना यह दर्शाता है कि एस्टॉपल के सिद्धांत ARCIL-प्रतिवादी संख्या 6 के खिलाफ लागू नहीं होंगे। यह स्थिति उस आदेश के संदर्भ में भी समान है जो 20 नवंबर, 2006 को माननीय महानुभावों द्वारा पारित किया गया था। इसके अलावा, डॉ. ए.एस. भिंडर द्वारा 23 अप्रैल, 2007 को दिए गए उनके हलफनामे में भुगतान करने की प्रतिबद्धता के लिए निर्धारित समय-सीमा, जिसका उल्लेख पिछले पैराग्राफ में पहले ही किया जा चुका है, भी काफी समय पहले ही समाप्त हो चुकी है।डॉ. ए.एस. भिंडर ने अपने हलफनामे के पैरा 3 में (कागजात की पुस्तक के पेज 248 पर) एक प्रतिज्ञान दिया है कि यदि याचिकाकर्ता द्वारा 29 जून, 2007 तक 375 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया जाता है, तो ARCIL-प्रतिवादी संख्या 6 को आगामी 90 दिनों में ICICI बैंक द्वारा तय किए गए बकाया राशि पर प्रचलित PLR के अनुसार गणना की गई अतिरिक्त राशि की वसूली का अधिकार होगा और यदि 1,325 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया जाता है, तो ARCIL-प्रतिवादी संख्या 6, SASF-प्रतिवादी संख्या 7 और SBH-प्रतिवादी संख्या 3 को कानून के अनुसार अपने बकाया वसूली के अधिकारों का प्रयोग जारी रखने का हक होगा।प्रतिवादी के विद्वान वकील की यह दलील विश्वसनीय है कि याचिकाकर्ता केवल समय नष्ट कर रहे हैं। अतः, हमें याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाई गई दलीलों को अस्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है।

29. उपर्युक्त चर्चा के फलस्वरूप, यह याचिका असफल होती है और इसे खारिज कर दिया गया है। फिर भी, याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 17 के तहत, जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, उपचार पाने की स्वतंत्रता होगी। प्रतिवादियों को उनके खर्च का अधिकार है, जिसे हमने प्रत्येक प्रतिवादी क्रमांक 1 से 9 तक के लिए 10,000 रुपये के रूप में निर्धारित किया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

निशा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

*(*Trainee Judicial Officer)

रेवाड़ी, हरियाणा